



प्रेस नोट थाना शिकोहाबाद कुर्की दिनांक 29-11-2025 जनपद फिरोजाबाद ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री सौरभ दीक्षित के निर्देशन में थाना शिकोहाबाद पुलिस टीम द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तहत गैंगलीडर अभियुक्त मंशाराम की मूल्य 41,07,615/- (41 लाख 07 हजार छः सौ पन्द्रह रुपये) की चल / अचल सम्पत्ती को कुर्क करते हुए जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी है ।

■ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री सौरभ दीक्षित के निर्देशन में आदतन / संगठित गिरोह बनाकर गम्भीर अपराध कराति करने वाले अपराधियों पर लगातार की जा रही है धारा 14(1) के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही.....

■ मंशाराम ने अपने लडके रोहित उर्फ आशु को अपने संगठित गैंग का लीडर बनाया जो कि मिलकर बल्ला, मारपीट, जान से मारने का प्रयास, अपहरण, छल कपट, षड़यंत्र आदि जैसे लगातार गम्भीर अपराध कारित करके अवैध धन अर्जित किया गया है ।

■ शातिर अभियुक्त मंशाराम पर जनपद के विभिन्न थानों में करीब डेढ़ दर्जन अभियोग हैं पंजीकृत.....

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री सौरभ दीक्षित द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तहत आदतन एवं संगठित होकर गम्भीर अपराधों को अंजाम देने वाले गैंगस्टर अभियुक्तों को विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी शिकोहाबाद के नेतृत्व में थाना शिकोहाबाद पुलिस टीम मय राजस्व टीम द्वारा थाना मक्खनपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 01/2025 धारा 2/3 गिरोहबंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 थाना मक्खनपुर जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित शातिर अभियुक्त मंशाराम पुत्र नारायन निवासी जहांगीरपुर गैलरई, थाना मक्खनपुर जनपद फिरोजाबाद की अन्तर्गत धारा 14(1) गिरोहबंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 में चल / अचल सम्पत्ति मूल्य 41,07,615/- (41 लाख 07 हजार छः सौ पन्द्रह रुपये) की चल / अचल सम्पत्ती को आज दिनांक 29-11-2025 को कुर्क करते हुए जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी है । अभियुक्त मंशाराम ने अपने लडके रोहित उर्फ आशु को अपने संगठित गैंग का लीडर बनाया जो कि बल्ला, मारपीट, जान से मारने का प्रयास, अपहरण, छल कपट, षड़यंत्र आदि जैसे गम्भीर अपराध कारित करके अवैध धन अर्जित किया है । अपराधियों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही जारी है ।

नाम पता अभियुक्त:-

1-अभियुक्त मंशाराम पुत्र नारायन निवासी जहांगीरपुर गैलरई, थाना मक्खनपुर जनपद फिरोजाबाद ।

क्र0सं0	सम्पत्ति का स्वामी	सम्पत्ति का प्रकार	मूल्यांकन (रुपयों में)
1	मंशाराम पुत्र नारायन	ग्राम नगला ऊमर के खेत संख्या 225 रकवा 1.388 है0 में 1/5 भाग अर्थात 0.2776	13,60,240 / -

2	शशी यादव (अभियुक्त मंशाराम की पत्नी)	ग्राम जहाँगीरपुर गैलरई के खाता संख्या 218 गाटा संख्या 248 रकवा 0.300 है0 का 1/3 भाग	4,90,000 /-
3-	शशी यादव (अभियुक्त मंशाराम की पत्नी)	ग्राम जहाँगीरपुर गैलरई के खाता संख्या 201 गाटा संख्या 22 रकवा 0.231 है0 व 30 रकवा 0.263 है0 कुल 02 किता रकवा 0.494 है0 का 1/20 भाग व खाता संख्या 212 गाटा संख्या 05 रकवा 0.535 है0 का 1/40 भाग	1,64,337.50/-
4-	शशी यादव (अभियुक्त मंशाराम की पत्नी)	ग्राम जहाँगीरपुर गैलरई के खाता संख्या 201 गाटा संख्या 22 रकवा 0.231 है0 व 30 रकवा 0.263 है0 कुल 02 किता रकवा 0.494 है0 का 1/20 भाग व खाता संख्या 212 गाटा संख्या 05 रकवा 0.535 है0 का 1/40 भाग	1,64,337.50/-
5-	शशी यादव (अभियुक्त मंशाराम की पत्नी)	ग्राम जहाँगीरपुर गैलरई के गाटया संख्या 117 रकवा 0.458 है0 का 1/3 भाग में से 1/2 भाग	3,05,200/-
6-	शशी यादव (अभियुक्त मंशाराम की पत्नी)	ग्राम जहाँगीरपुर गैलरई के गाटा संख्या 117 रकवा 0.458 है0 व 118 रकवा 0.364 है0 कुल 02 किता रकवा 0.822 है0 का 1/3 भाग	10,96,000/-
7-	शशी यादव (अभियुक्त मंशाराम की पत्नी)	ग्राम जहाँगीरपुर गैलरई के खाता संख्या 199 गाटा संख्या 144 रकवा 0.753 है0 का 1/6 भाग	5,02,000/-
8-	मंशाराम	मोटरसाइकिल स्पलैण्डर प्लस यूपी 83 एएक्स 4811	25,500/-
कुल कुर्क की गयी चल / अचल सम्पत्ती का विवरण:---			41,07,615/- (41 लाख 07 हजार छः सौ पन्द्रह रुपये)